राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 88/अलेसे–III/ 13415-425 दिनांक– 01-03-2012

आदेश संख्या 269/2011–12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट– I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण मे निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारो जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 मे उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) वेतन श्रृंखला पी0बी0–2 (9300-34800) ग्रेड मे 4200/– में स्वीकृत की जाती है :–

क्र. स	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट/बैच न0	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृति दिनाक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मनोहर सिंह	598/88	05.11.1990	05-11-2008	
2.	मोहन सिंह	669/88	19.05.1990	19.05.2008	
3.	शिव कुमार शर्मा	710/88	29.08.1991	29.08.2009	
4.	विष्णु कुमार निमोरिया	162/89	11.02.1991	11.02.2009	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारो को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 मे दी हुई शर्तो के संबध में संतोषजनक सेवा संबधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 3 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नही होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य मे प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 मे वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक:– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 88/अलेसे–III/ 13415-425 दिनांक:– 01-03-2012

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....

2- श्री .... कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....

3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।

4- गोपनीय शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।

5- कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु) शाखा।

6- निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)

F:\SAS-III\Inder kumar\Mahendra Sir\m anderji sir\18.doc - 102 -